

I/262775/2023

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-262775/2023/ 71-1001(001)/12/2021
लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, स्किन एण्ड वी0डी0 विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-129/65/डी0आर0/सेवा-8/2018-19, दिनांक 24 अगस्त, 2022 एवं पत्र संख्या-84/03/डी0आर0/सेवा-8/2020-21, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 03 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
- (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ पत्र।
- (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
- (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।

3- अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5- अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन/आजमगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन/आजमगढ़।
7. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन/आजमगढ़।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. संबंधित चिकित्सा शिक्षकगण।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by सत्य प्रकाश

सिंह

(एस0पी0 सिंह)

Date: 19-01-2023 16:21:30

Reason: अनुसूचित

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम0ई0-2/2023/ 84-90

लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन/आजमगढ़।
2. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

I/262775/2023

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 262775/2023 / 71-1001(001)/12/2021
 लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2023 का संलग्नक

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि०नं०/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1.	डा० कुलदीप वर्मा पुत्र श्री राम चरन वर्मा / 53600173948 / अनारक्षित	पता-1365 राम जानकी पुरम कालोनी, मेंहदी बाग, झाँसी, उ०प्र०-284001	मेडिकल कालेज, जालौन
2.	डा० धीरज कुमार पटवा पुत्र श्री श्याम लाल पटवा / 53600537359 / अनारक्षित	पता-सन्नोदेवी, 117-93 डी०-4 नियर काली माता मन्दिर, एल०आई०सी० रोड़, टैगोर टाउन प्रयागराज, उ०प्र०-211002	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3.	डा० आयुषी मोहन पुत्री श्री राम मोहन / 53500247334 / अनारक्षित / महिला	द्वारा डा० शरद श्रीवास्तव जानकी कुटीर-22 सिविल लाईन्स, जजेज कम्पाण्ड, गोरखपुर, उ०प्र०-273001	मेडिकल कालेज, आजमगढ़

(एस०पी० सिंह)
 अनु सचिव